



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 अगस्त, 2021

भाद्रपद 5, 1943 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 764/वि०स०/संसदीय/70(सं)-2021

लखनऊ, 19 अगस्त, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 19 अगस्त, 2021 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 संक्षिप्त नाम और कहा जाएगा। प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 3 अगस्त, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
29 सन् 1974 द्वारा
यथासंशोधित और
पुनः अधिनियमित
राष्ट्रपति अधिनियम
संख्या 10, सन्
1973 की धारा 4
का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) के खण्ड (झ) में, शब्द "सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर" के स्थान पर शब्द "माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर" रख दिये जायेंगे।

अनुसूची का
संशोधन

3—मूल अधिनियम की अनुसूची में, उक्त अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में क्रम संख्या 15 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, शब्द "सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर", के स्थान पर, शब्द "माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर" रख दिये जायेंगे।

निरसन और
व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 5
सन् 2021

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह-प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973), उत्तर प्रदेश में कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधियों में संशोधन करने तथा उन्हें समेकित करने के लिये अधिनियमित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2019) के माध्यम से उक्त अधिनियम में संशोधन करके सहारनपुर जिला में 'सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर' की स्थापना की गयी है।

देवी शाकुम्भरी देवी का प्राचीन मंदिर सहारनपुर जिला में स्थित है जो भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। माँ शाकुम्भरी देवी के प्रति जनसामान्य में अटूट श्रद्धा है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर को माँ शाकुम्भरी देवी को समर्पित करते हुये उक्त विश्वविद्यालय का नाम जनसामान्य की भावनाओं के अनुसार उनके नाम पर रखने का विनिश्चय किया गया है साथ ही उच्चतर शिक्षा के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के उन्नयन में योगदान हेतु विश्वविद्यालय को सक्षम बनाया गया है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 और अनुसूची में संशोधन 'सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर' का नाम परिवर्तित कर 'माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर' किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2021) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

डॉ० दिनेश शर्मा,
उप मुख्यमंत्री।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973

धारा 4 (1-क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में,—
“(झ) एक विश्वविद्यालय, जिसे सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर के रूप में जाना जायेगा;”

अनुसूची

1	2	3
'15'	सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर	मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिलें

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 674/XC-S-1-21-44S-2021
Dated Lucknow, August 27, 2021

NOTIFICATION **MISCELLANEOUS**

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the UTTAR PRADESH RAJYA VISHWAVIDYALAYA (SANSODHAN) VIDHEYAK, 2021" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 19, 2021.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2021

A BILL

to further amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy second Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2021.

Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from August 3, 2021.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the "Principal Act", in clause (i) of sub-section (1-A) *for* the words "Saharanpur State University, Saharanpur" the words "Maa Shakumbhari University, Saharanpur" shall be *substituted*.

Amendment of section 4 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

Amendment of Schedule	3. In the Schedule to the Principal Act, <i>for</i> the entry appearing at serial no. 15 in Column no. 2 of the said Schedule, <i>for</i> the words "Saharanpur State University, Saharanpur" the words "Maa Shakumbhari University, Saharanpur" shall be <i>substituted</i> .	
Repeal and saving	4. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2021 is hereby repealed. (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.	U.P. Ordinance no. 5 of 2021

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President Act No. 10 of 1973) has been enacted to amend and consolidate the laws relating to certain Universities in Uttar Pradesh. By amending the said Act through the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2019 (U.P. Act No. 6 of 2019), a University has been established in Saharanpur district by the name of "Saharanpur State University, Saharanpur".

The ancient temple of Goddess Shakumbhari Devi is situated in Saharanpur district, which is one of the famous Shakti Peeth of India. The general public has an unwavering reverence for Maa Shakumbhari Devi. Dedicating the Saharanpur State University, Saharanpur established by the State Government to Maa Shakumbhari Devi, it was decided to name the said University after her name in accordance with the sentiments of the general public and at the same time enabling the University to contribute to the advancement of Indian culture and civilization through higher education. In view of the above, it was decided to change the name of "Saharanpur State University, Saharanpur" to "Maa Shakumbhari University, Saharanpur" by amending section 4 and Schedule of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 5 of 2021) was promulgated by the Governor on August 03, 2021.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

DR. DINESH SHARMA

Up Mukhya Mantri.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.